

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना दिनांक 20-11-07

सं० 17/ए3-08/05... (100) (17) /स्वा० विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग में कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत सहायक प्राध्यापक के पदों पर कार्यरत निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुसंसा के आलोक में उनकी कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत दी गई प्रोन्नति को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से विनियमित किया जाता है:-

क्रमांक	कार्यकारी सहायक प्राध्यापक का नाम	कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान की तिथि ।	विनियमित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	डा० ज्योति बाला	25.03.04	25.03.04
2	डा० रजनी सिन्हा	24.03.04	24.03.04
3	डा० लता शुक्ल द्विवेदी	06.09.04	06.09.04
4	डा० कुमारी विभा	06.09.04	06.09.04
5	डा० अलका सिन्हा	06.09.04	06.09.04
6	डा० ममता सिंह	08.09.04	08.09.04
7	डा० मोनु शरण	08.09.04	08.09.04
8	डा० हेमाली हाएटी सिन्हा	08.09.04	08.09.04

- * अधिसूचना में वर्णित क्रमांक वरीयता के द्योतक नहीं है ।
- * योगदान के तिथि में किन्नाता अथवा अन्य कोई त्रुटि पाये जाये तो प्रोन्नति / नियमितकरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० एमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

शापांक- 17/ए3-08/05-100 (17) पटना, दिनांक-

प्रतिनिधि- अध्यक्ष, राजकीय मुद्रणालय, मुंगेरवाड़ा, पटना को सूचनाार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनाार्थ प्रेषित ।

प्रतिनिधि- महल्लेखाकार, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अभिलेख के आधार पर यदि किसी चिकित्सक के योगदान की तिथि से किन्नाता त्रुटिगत हो, इसकी सूचना यथाशीघ्र इस विभाग को सूचित करें ताकि नियमानुसार इसका सुदृष्टिपत्र निर्गत किया जा सके ।

सरकार के उप सचिव ।

शापांक- 17/ए3-08/05 - 1001 (14)

पटना, दिनांक- 20.11.07

प्रतिलिपि- मंत्री, स्वास्थ्य के अति सचिव / सचिव, स्वा० विभाग के सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / सभी सम्बन्धित चिकित्सक-शिक्षक/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक/ अपर निदेशक (चि०शि०) के निजी सहायक/ सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी / वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-17 एवं 1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

क्र. सं.	नाम	पद	विवरण